बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

का०अ०सं० :– 2/अ0प्र0–2–56/2014 91 /पटना, दिनांक :– 30.12

श्री सुदर्शन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल के विरूद्ध अरवल जिलान्तर्गत आयरा ग्राम में ग्रामीण लिंक पथ के प्रिमिक्सींग कार्य में मिक्स के तापमान पर ध्यान नहीं रखने, कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं करने एवं कालीकृत पथ में स्टोन चिप्स उखड़ा हुआ पाये जाने के आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश सं0 80 सहपठित ज्ञापांक 09.02.16 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, के नियम 14 एवं 17 के तहत मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 2005 अनु0 दिनांक 08.06.2016 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों को इस आधार पर अप्रमाणित बताया गया कि सील कोट टाईप –ए के कार्य के पश्चात ग्रीन स्टेज में ही वाहनों का परिचालन होने से पथ के आंशिक भाग में कहीं कहीं स्टोन चिप्स उखड़ गया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से कराई गयी। अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा में पथ निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण में लापरवाही के लिए कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को उत्तरदायी माना गया।

3. अतः संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह के पत्रांक शून्य दिनांक 26.12.2018 के माध्यम से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि प्रीमिक्सींग में मिक्स के तापमान का ध्यान नहीं रखने एवं कम तापमान के मिक्स का व्यवहार किये जाने के कारण स्टोन चिप्स उखड़ा हुआ पाया गया था। उक्त आधार पर श्री सिंह के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकार्य पाया गया।

4. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सुदर्शन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल, सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के कंडिका 14 (vi) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति एवं अवनति की अवधि में वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

(N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@

(१)

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/2014 3751 /पटना, दिनांकः– 30.12.19

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/2014 3751 /पटना, दिनांकः– 30.12.19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगुसराय/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री सुदर्शन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल, सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/2014 3751 /पटना, दिनांकः– 30.12.19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख